न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिकरहना (ढ़ाका), पूर्वी चम्पारण

चिरैया थाना कांड संख्या– 243 / 20

24.08.2020 काराधीन अभियुक्तगण 1. राज किशोर साह, 2, हैप्पी कुमार, 3. कृष्णा साह, 4. उपेन्द्र कुमार, 5. राजू कुमार, 6. संदीप कुमार, 7. रंजन कुमार, 8. सूरज कुमार, 9. अजय साह, 10. जगदीश प्रसाद, 11. कृष्णा कुमार उर्फ किशन कुमार, 12 रामाधार प्रसाद, 13 जयराम प्रसाद, 14. उज्जवल कुमार 15. रवि शंकर प्रसाद, 16. विजय साह, 17. धीरज केशरी, 18. रामेश्वर साह, 19. दरोगा साह, 20. सत्यप्रकाश प्रसाद, 21. सूरज केशरी, 22. बलीराम कुमार उर्फ वलीराम कुमार, 23. विश्वप्रकाश केशरी, 24. कुणाल कुमार, 25. मो0 ईसराईल, 26. शेख जीमल अख्तर, 27. शेख वशी अख्तर, 28. सरोज प्रसाद, 29. रवि कुमार, 30. सोहन कुमार, 31. मुन्ना साह 32. प्रदीप कुमार, 33. संजीव कुमार गुप्ता उर्फ संजीत कुमार 34. राजीव कुमार, 35. रंजीत कुमार 36. अशोक कुमार गुप्ता, 37. रवि कुमार गुप्ता उर्फ रवि कुमार, 38. सागर कुमार 39. दयानन्द गुप्ता, 40 मुन्ना कुमार रैनक, 41 सचिन गुप्ता, 42. रमेश कुमार, 43. गणेश कुमार की ओर से दाखिल सभी जमानत आवेदनों को एक साथ चालित करते हुए इनके विद्वान अधिवक्ताओं का कहना है कि अभियुक्तगण निर्दोष है तथा कोई अपराध कारित नहीं किए हैं। इनका यह भी कहना है कि अभियुक्तगण दूसरे ग्राम के है तथा इन्हें घटना से कुछ लेना देना नहीं है तथा प्राथमिकी में स्पष्ट है कि घटनास्थल पर कुल 19 लोग थे तथा अभियुक्तगण घटना स्थल पर गिरफ्तार नहीं हुए है और न हीं इनके पास से कोई सामान बरामद हुआ है। इनका यह भी कहना है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप बेबुनियाद एवं मनगढ़न्त है। इनका यह भी कहना है कि दुर्घटना का स्थान दीपक साह जो ग्राम गोखुल चिरैया बाजार की है तथा पुलिस की लापरवाही के कारण कुछ ग्रामीणें के साथ तथा पुलिस में बाताबाती हो गयी तथा पुलिस लोगों को बुरी तहर से मारपीट कर यह गलत केश कर दिया। इनका यह भी कहना है कि प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात् स्थानीय पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तार करना शुरू कर दी तथा पुलिस बल द्वारा अपने शक्ति का गलत उपयोग किया गया है। इनका यह भी कहना है कि अभियुक्तगण को इस घटना से कुछ लेना देना नहीं है और न ही प्राथमिकी में लगाए गए आरोप कारित किए है। अन्ततः इनका यह भी कहना है कि अभियुक्तगण दिनांक 18.08.2020 से कारा में है। अतः जमानत पर मुक्त किया जाए।

प्रतिउत्तर में अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है। उभय पक्ष को सुना।

चूंकि प्राथमिकी धारा 147, 148, 149, 341, 323, 353, 307, 504, 435, 436, 337 120 (बी) भा.दं.वि. तथा 27 शस्त्र अधिनियम एवं 3/4 पब्लिक डेमेज एक्ट के तहत पंजीकृत हुयी है जिसमें धारा 353, 307, 436 भा.दं.वि. तथा 27 शस्त्र अधिनियम अजमानतीय तथा संगीन अपराध है। पुलिस की निष्क्रियता तथा लापरवाही के कारण घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है। वाद अनुसंधान में चल रहा है। अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है तथा

24.08.2020 दिनांक 18.08.20 से कारा में है। धारा 307 तथा 436 भा.दं.वि. अन्ततः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः सभी आवेदक अभियुक्तों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
सिकरहना स्थित ढ़ाका, पूर्वी चम्पारण।
दिनांक 24.08.2020